न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 32/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 5.10.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

सेवा सिंह आ0 मोहनसिंह जाति सिक्ख निवासी ग्राम माटून्दा तहसील एवं जिला बूंदी (राज0)।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये उप खण्डा मजिस्ट्रेट, बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2017/4967 दिनांक 8.6..2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा पिता मोहनसिंह के शस्त्र अनुज्ञापत्र पर धारित डीबीएमएल गन नं0 2690 को उत्तराधिकार की अवधारणा के आधार पर चाहते हुये नया शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी के यहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी से रिपोर्ट चाहे जाने पर उनके द्वारा आवेदक के विरूद्ध मुकदमा नं0 226/15 दर्ज होकर विचाराधीन न्यायालय होने से आवेदक को उत्तराधिकार के रूप मे शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नही की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश क्रमांक/न्याय/2017/4967 दिनांक 8.6..2017 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट का समुचित अवलोकन नही किया उक्त मुकदमा किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपीलांट के विरूद्ध झूंठा दर्ज कराया था। उक्त प्रकरण शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। प्रकरण अभी विचाराधीन है निर्णय नही हुआ है। अपीलार्थी को शस्त्र की आवश्यकता है। अपीलार्थी के पास पूर्व मे भी डीबीएल गन का अनुज्ञापत्र है जो विधिवत रूप से नवीनीकरण किया जाता रहा है इसका भी कभी दुरूपयोग नही किया है ऐसी स्थिति मे नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट का समुचित अवलोकन नही किया। पुलिस रिपोर्ट मे वर्णित मुकदमा किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपीलांट के विरूद्ध झूंठा दर्ज कराया था। उक्त प्रकरण शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। प्रकरण अभी विचाराधीन है निर्णय नही हुआ है। अपीलार्थी को शस्त्र की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने का आदेश प्रदान किया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट कमांक 4114 दिनांक 20.5.2017 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नं0 226/15 दर्ज होकर विचाराधीन न्यायालय होने से आवेदक को उत्तराधिकार के रूप मे शस्त्र अनुज्ञापत्र दिये जाने की अनुशंषा नही की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश कमांक/न्याय/2017/4967 दिनांक 8.6..2017 से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया है। मुताबिक उक्त पुलिस रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी ने नवीन शस्त्र चाहने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही कि जाने पर अपीलार्थी का आवेदन पत्र आदेश कमांक/न्याय/2017/4967 दिनांक 8.6..2017 से निरस्त का अपीलार्थी को सूचित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट का समुचित अवलोकन नही किया उक्त मुकदमा किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपीलांट के विरूद्ध झूंठा दर्ज कराया था। उक्त प्रकरण शस्त्र के दुरूपयोग से संबधित नही है। प्रकरण अभी विचाराधीन है निर्णय नही हुआ है। अपीलार्थी को शस्त्र की आवश्यकता है। आलौच्य उक्त आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट कमांक 4114 दिनांक 20.5.2017 अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नं0 226/15 दर्ज होकर विचाराधीन न्यायालय होने से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की अनुशंसा नही की जाने पर जेरअपील आदेश से निरस्त कर अपीलार्थी को सूचित किया है। जेरअपील आदेश अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा उक्त विवेचित मुकदमे के तथ्यों का समुचित परीक्षण कर तथ्यों को विवेचित किये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाता है पुलिस रिपोर्ट मे उल्लेखित न्यायालय मे विचाराधीन मुकदमा सं0 226/15 का माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत, मुकदमे मे वर्णित तथ्यों का परीक्षण करते हुये गुणावगुण पर विचार कर अपीलार्थी को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये मुकदमे मे हुये निर्णय व शस्त्र की सद्भावी आवश्यकता के मध्यनजर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा